03.03.25 पत्रावली पेश। उभय पक्षकारान उपस्थित। अप्रार्थीगण सं. 1, 5, 6 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थीगण अधिवक्ता जरिये द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा कावरला के खसरा नं. 964/1 रकबा 1.18[illegible] में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:56:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, P.O.)

Scanned with OKEN Scanner

को मूल वाद के निस्तारण तक यथावत फरमावे। अप्रार्थी सं. 02 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण का उक्त खसरे पर कोई कब्जा नहीं है व पेश किये गये सारे तथ्य गलत हैं।

हमने अप्रार्थी सं. 3 व 4 द्वारा दिये गये प्रार्थीगण के पक्ष में जवाब व काउंटर क्लेम का अवलोकन किया। उभय पक्षकारान की बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का भली भांति अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

अत: अप्रार्थीगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा बावरला के ख.न. 964/1 रकबा 1.1300 हेक्टेयर में मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति ब[illegible] रखें। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] के क्रम, दाखिल दफ्तर हो।

(signature)

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:56:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner